क्रमांक 32/440/88-जी.एस.-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, हरियाणा।
2. सभी उपायुक्त हरियाणा तथा मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा।
3. राजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 4-1-1989.

विषय: अनिवार्य सेवा निवृत्ति-सेवावृद्धि केसों मे देरी रोकना।

श्रीमान जी,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गये परिपत्रों क्रमांक 28/138/81-जी.एस.I, दिनांक 4-9-81, 32/65/82-जी0 एस0 I, दिनांक 4-9-82 तथा 32/15-ए/87-4 जी0 एस0, दिनांक 6-7-87 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि, यह अनुभव किया गया है कि सेवा वृद्धि वाले केसों में देरी प्राय: अधिकारियों द्वारा गोपनीय रिपोर्टस समय पर न लिखने तथा समय पर न भेजने के कारण होती है। इसलिए सभी विभागों को पुन: अनुरोध किया जाता है कि उक्त हिदायतों की कड़ाई से पालना की जाये और निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखा जाये ताकि सेवा वृद्धि वाले केसों में किसी प्रकार का विलम्ब न हो।

1. आगामी दो वर्षों में 50/55 वर्ष की आयु पर रिव्यू होने वाले केसों की सूची advance में बनाकर विभागाध्यक्षों तथा प्रशासकीय सचिवों के कक्षों में लटकाई जाये। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष स्वयं इस सूचि में रूचि लेकर केस भिजवायें।

2. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट किसी अधिकारी द्वारा समय पर न भेजने/न लिखने अथवा प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण देरी हुई हो तो व्यक्तिगत स्तर पर इन्हें पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाये।

3. सेवा वृद्धि वाले केसों को date-bound मार्क किया जाये और पत्र व्यवहार करते समय अर्ध सरकारी पत्र ही लिखा जाये।

4. विभागाध्यक्ष केस को समय पर भिजवाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगें।

5. प्रत्येक केस निश्चित तिथि से 6 मास पहले अवश्य ही भेजा जाये। यदि पदोन्नति व सेवा वृद्धि साथ-साथ आ जाये तो पहले सेवा वृद्धि केस में कार्यवाही की जाए।

6. यदि केस निर्धारित तिथि तक तैयार करने मे देरी हो जाये तो प्रत्येक स्तर पर की गई देरी का विवरण बनाया जाये तथा उसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

1. सभी वित्तायुक्त एवं सचिव सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार।

हस्ता/-
अधीक्षक, सामान्य सेवाएं-I.